प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/151200/BRL/BAREILLY/3335/CFO

दिनांक: 01-04-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL पता 292 296 297 PART,BANKEY MAUJA SHEPUR SANJAY NAGAR ROAD,BAREILLY तहसील BAREILLY, प्लाट एरिया 4021.81 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 4878.12 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमे

ब्लॉकटावर/	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ए	4	0	14.90 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 01-04-2025 को किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सिर्टिफिकेट) एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 01-04-2025 से 31-03-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयाविध के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note: 30प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के नियम 45 (4) के अन्तर्गत भवन स्वामी/अध्यासी प्रत्येक वर्ष जनवरी और माह जुलाई में भवन/पिरसर में अग्नि से बचाव और जीवन सुरक्षा उपायों के रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रपत्र-क-8 में अधिनियम 2022 की धारा 26 में यथा विनिर्दिष्ट भली भाँति मरम्मत और अच्छी स्थिति में होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अन्यथा की स्थिति में निर्गत प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य/ढांचागत परिवर्तन किए जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

<u>"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"</u>

निर्गत किये जाने का दिनांक: 02-04-2025

स्थान : BAREILLY

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी) (मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By (Chandra Mohan Sharma)

[7035BFF45096262885F5F95967EEC5FFF55997EC]

02-04-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.